

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (बेसिक),
उ०प्र०, लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद, उ०प्र०।

पत्रांक:शि०नि०(बे०)/अ०शि०नि०(शिविर)/5770-867 /2019-20 दिनांक: 16 अप्रैल, 2019

विषय: निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु लॉटरी के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक आप अवगत है कि आज दिनांक 16.04.2019 को निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) के अन्तर्गत अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को कक्षा-1/पूर्व प्राथमिक कक्षा में ऑनलाइन प्रवेश हेतु लाटरी निकालने की प्रक्रिया आपके स्तर से की जानी थी।

उल्लेखनीय है कि जनपद-गौतमबुद्धनगर व हापुड़ द्वारा समस्त आवेदन पत्रों के सत्यापन नहीं किये जाने के कारण आज दिनांक 16.04.2019 को लॉटरी की प्रक्रिया आपके स्तर से सम्पादित नहीं करायी जा सकेगी।

उपरोक्त के क्रम में लॉटरी दिनांक 24.04.2019 को निकाली जायेगी अतः लॉटरी निकालने से सम्बन्धित समस्त तैयारी कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(ललिता प्रदीप)

अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ०प्र०, लखनऊ

पृष्ठांकन संख्या-शि०नि०(बे०)/5770-867

/2019-20 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ०प्र० शासन।
2. राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान, उ०प्र०
3. विशेष सचिव, बेसिक शिक्षा, अनुभाग-3, उ०प्र० शासन
4. अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
5. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), समस्त मण्डल, उ०प्र०।
6. श्री ए०पी०सिंह, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि लॉटरी निकालने से पूर्व आवश्यक तैयारी हेतु मार्गदर्शन देने का कष्ट करें।

(ललिता प्रदीप)

अपर शिक्षा निदेशक(शिविर)
कृते शिक्षा निदेशक(बेसिक),
उ०प्र०, लखनऊ